ANNEXURE

I. The Central Excises and Salt Act, 1944.
II. The Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947.
III. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954.
IV. The Essential Commodities Act, 1955.
V. The Wealth Tax Act, 1957.
VI. The Income-tax Act, 1961.
VII. The Customs Act, 1962.
VIII. The Gold Control Act, 1968.
IX. Amendments common to more than one Act.
X. Indian Penal Code.
XI. Code of Criminal Procedure.
XII. New Act for special courts.
XIII. Passports Act, 1967.
XIV. Imports & Exports (Control) Act, 1947.
XV. Drugs and Cosmetics Act, 1940.
XVI. Companies Act, 1956.
XVII. Constitution.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED MURDER OF A PROMINENT HARIJAN LEADER IN BANDA DISTRICT, U.P.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported murder of a prominent Harijan leader and serious injuries to five others at Dighwat in Banda District, U.P., and to other atrocities committed on Harijans there.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Sir. According to information received from the State Government, one Shri Shiv Prasan Kewat was murdered and another Shri Ramadhar Domar injured in an incident that occurred in Village Dighwat, district Banda on 4th December. The case is being investigated by the State C.I.D.

Shri Shiv Prasan belonged to the Kewat community. This community has not been included among the Scheduled Castes.

It is learnt that feelings of ill-will had developed between two groups, divided along caste lines, in village Dighwat, following the gram pradhan elections held in early 1972. Action under sections 107/117 Cr. P.C. was taken against some members belonging to the two groups. On 29th September, one Shri Ramdeo Brahman was murdered allegedly by persons belonging to the opposite group. Shri Shiv Prasan was one of the alleged accused in that case and his murder is reported to be an act of retaliation.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) in the Chair.]

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, whatever lip-sympathy is being shown by the Government of India and State Governments to the Harijans, and scheduled castes and scheduled tribes, does not go very far in giving them protection which is needed. There are repeated attacks on Harijans and lower caste people in the country. The Parliamentary Committee at the Centre, the Parliamentary Committees in the States, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the Centre and the Home Ministry directly looking after the protection and improvement of scheduled castes and scheduled tribes, have come to nothing at all. Even today they are looked down upon, and the case in instance goes to show only because a Harijan leader was elected to Gram Panchayat the other castes in the area retaliated and thereafter the trouble started. As reported in na-

tional daily newspapers, the groups were brandishing spears and firing their guns And if that was so, what was the Police doing? Were the police officials there only the onlookers, particularly when they knew that there was tension after a Harijan was elected to the Gram Panchayat? Why didn't the police seize the guns at least temporarily in the village and other kinds of lethal weapons? Since they did not do it, ultimately it culminated in shooting and in the death of two—one from either group It goes to show that there is absolutely no administration in certain areas of Uttar Pradesh

I do not know what it is due to, whether it is because of the inefficiency of the State Government or it is because of some communal attitude of some of the administrators there

SHRI DAHYABHAI V PATEL (Gujarat) All the Prime Ministers come from Uttar Pradesh

SHRI LOKANATH MISRA We expected that at least the Harijans would get a better deal from the Uttar Pradesh Government, the State being so politically enlightened

SHRI S D MISRA (Uttar Pradesh) Now they are having Harijan President of the P C C

SHRI LOKANATH MISRA I would like to know what it is the reaction of the hon Minister in regard to these points?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA As I said in my statement, there is enmity between some groups in this village and all along, the District authorities were conscious of this fact They had taken a number of steps to see that the breach of peace does not take place Preventive action was taken against some persons from both the sides on 17th April 1972 Then again more people were bound down under the preventive provisions on 17th August, 1972 Sir, this unfortunate murder of Shri R D. Brahmin took place on 29th September, 1972 and that exacerbated the feelings between the two parties. Further stringent preventive measures were taken on 31st October, 1972 when 61 persons from one side and 57 persons from the other side were bound down for keeping the peace But, Sir, as it happened, these measures also could not prevent the murder of Shiv Prasan Kewat on 4th December, 1972 It cannot be said that the District authorities were not aware of the situation or were inactive The District Magistrate visited the village along with the Superintendent of Police The Deputy Superintendent of Police had also visited it They called upon the people to keep the peace and tried to pacify the various parties In spite of this, this murder took place which seems to be of a retaliatory nature It cannot be said that it is a case of torture on the Harijans It cannot be looked at from that point of view The elections gave rise to these partisan feelings which unfortunately resulted in these murders

SHRI LOKANATH MISRA I would ask one more point, Mr Mirdha The paper goes on to say, "A deputation told the District Magistrate here yesterday that armed groups went through the village brandishing spears and firing their guns intermittently" This is a report of the 4th of December If preventive action had been taken how a particular group could be allowed to go round the village brandishing spears and firing guns intermittently

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, the preventive action of binding them down and posting the police constables in the village were taken But in spite of this, the most regrettable incident did take place and all I can say is that it happened in spite of all possible precautions having been taken by the District authorities

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस घटना के साथ-साथ देश मे हरिजनो और गरीब मुसलमानो के साथ जो हो रहा है, वह भी इसी के साथ सम्बंधित है और मंत्री महोदय यह देखते होगे कि वह हर महीने, हर सप्ताह इस तरह की घटनाओ के सवाद समाचारपत्रो मे छपते रहते है। एक घटना हरिजन के साथ आपके दिल्ली मे हुई, दूसरी घटना गाजियाबाद मे हरिजन के साथ हुई। तीसरी घटना आजमगढ मे हुई, हजारो घटनायें सदन के सामने आई और बहस की गई। गाजियाबाद की घटना 11 नवम्बर की है जब एक हरिजन लडके जिसका नाम चन्द्रसेन जाटव था, उसके ऊपर पुलिस को शुबहा हुआ कि पाकिटमार है और पुलिस ने ला कर के उसे पुलिस चौकी मे बन्द किया और उससे कुछ ऐक्सटैक्ट करने के लिए या जानकारी हासिल करने के लिए चौकी मे मिट्टी का तेल छिडक करके जला डाला। जनता ने चौकी को घेर कर लडके को बरामद किया और लडका अस्पताल पहुचाया गया, वहा उसकी मृत्यु हो गई। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हू कि इस तरह की घटनाये रोज हो रही है। क्या अपनी पुलिस और ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था को ऐसी तस्वीह देगे कि घटनाओ के रोजमर्रा होने की बात रोकी जा सके, अन्याथा इस देश का क्या होगा ? अगर हरिजनो के साथ 25 साल की आजादी के बाद भी और आपकी सारी कोशिश के बाद भी उन हरिजनो को छोड करके जो यहा मंत्री बनकर बैठ गए है या जो सम्पन्न होकर दिल्ली मे व्यवसाय करते है, बाकी जो 99 प्रतिशत हरिजन और गरीब मुसलमान है, मजदूर है, पेट नही भर पा रहे है, तन ढकने को जिनके पास कपडा नही है, उनके साथ जो ज्यादतिया हो रही है, पब्लिक के सम्पन्न वर्ग के द्वारा और सरकारी कर्मचारियो के द्वारा इनको रोकने की कोई व्यवस्था आप कर रहे है कि नही ?

SHRI LOKANATH MISRA: Every Minister is a Brahmin Ministers, as a caste, should be considered as Brahmins—the topmost (*Interruption*) ... I am much more in the list

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कुछ घटनाओ की ओर सकेत किया जो कि इन दिनो मे सदन के समक्ष आई है या जिनकी चर्चा अखबारो मे हुई है। उनके बारे मे समय समय पर सदन के सामने वक्तव्य दिये गये है और जो भी कानूनी कार्यवाही केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकारो को करनी होती है, वह हर केस मे, हर मुकदमे मे बहुत ही सख्ती के साथ की जाती है। इस सम्बन्ध मे हमारी हिदायतें कई प्रकार से कई तरह की राज्य सरकारो को गई हुई है। समय समय पर उनसे हम मशवरा करते रहते है कि इस प्रकार के जो मामले आयें उन पर बहुत ही दृढता से काम किया जाए, उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वय उनके बारे मे जाच करे। जब ये केस चालान हो जाये, वहा पर भी इनको बहुत ही अच्छी तरह से लडा जाए और जो भी कानून पिछडे वर्ग के सम्बन्ध मे बनाये गये है, उनको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के जो विभिन्न विभाग है, वह हमेशा सचेष्ट रहते है और राज्य सरकारो पर हमेशा यह बात लाजिम करते रहते है कि ऐसे मामलो पर सख्ती से काम करे और गम्भीरता से उनको ले और इसका काफी असर हुआ है।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : असर हुआ है और घटनाये बढती जा रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, घटनाये बढ रही है या नही बढ रही है, उनके बारे मे हमारे पास तथ्य नही है। लेकिन एक जागृति पिछडे वर्ग मे आई है और वह चुनाव और अन्य तरीको से अपने को आगे लाना चाहते है। उससे यह सही है कि एक सघर्षात्मक स्थिति बनी है और समाज के ऊपरी तबके के जो वर्ग है, हमेशा से अधिकार जिनके हाथ मे रहे है, चाहे पचायतो मे हो या अन्य प्रकार से हो, जब उनके हाथ

से जाते लगते है तो एक प्रकार का सामाजिक टेंशन अवश्य पैदा होता है ।

इसलिये मै तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये घटनाये जो होती है उनको बढ़ा-चढ़ा के एक विशेष दृष्टिकोण से न देखें और जो सामाजिक उथल-पुथल हमारे देश मे आ रही है, उसी के संदर्भ में इसे देखें और इसे एक ला एंड आर्डर की समस्या ही मान कर न चलें । जहां तक ला एड आर्डर की समस्या का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारे हमेशा इस बात की कोशिश करती है कि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में पहले जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाय ताकि झगडे बढ़ने की सम्भावना ही नही रहे और जब इस प्रकार की घटनायें हो जाती है, तो जो भी इसके लिये जिम्मेवार है उन पर पूर्ण रूप से सख्ती से कदम उठाया जाय और कानूनी तौर पर कदम उठा रहे है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने एक जनरल सर्मन दे दिया कि इस तरह के इन्स्ट्रक्शंस दे दिये गये है राज्य सरकारों को और अधिकारियो की प्रिवेंटिव मेजर्स लिये जायं, कार्यवाही की जाय, रेसट्रेनिंग मेजर्स लिये जायं, तो, श्रीमन्, में कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह कह कर अपना पिंड छुड़ा लेना चाहते है कि यह ला एंड आर्डर का प्रावलम नही है, बल्कि प्राबलम यह है कि चूंकि जागृति बढ रही है और पिछड़ा वर्ग चूंकि आगे आना चाहता है, जागृति बढ़ रही है इसलिये ऊपर का वर्ग जो है उसमे संघर्ष हो रहा है । मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपके पास कोई नीति है या नही है आपके पास कोई सरकारी मशीनरी है या नही है जो कि इस तरह की अनियमित बातों को और पिछडे वर्ग के साथ रोजाना होने वाले जुल्मों को रोक सके । इसकी एक और समस्या है । अगर हरिजनों के साथ यह होता रहेगा तो इसका नतीजा क्या होगा, देश मे आज जो व्यवस्था है आज जो समाज है, उस पर क्या असर पड़ेगा ? आपके यहां बाहर के लोग, लाखों-लाख ईसाई पादरी लोग आ कर के इन हरिजनों को थोड़ी सी सुविधा दे कर के उन्हें ईसाई बना रहे है और ईसाई बनाने के साथ इस माध्यम से उनमें सी० आई० ए० के एजेंट बना रहे है । अभी वह क्या नाम है, बिली ग्राहम आये थे जो कि प्रधान मंत्री जी के पास जा कर मिल आये, वह नेफा में, आसाम में. ..

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : श्रीमान् यह प्वांइन्ट आफ आर्डर के नाम पर सब चल रहा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उन्होंने तो जवाब नही दिया । बिली ग्राहम आकर के अपने नेफा में और आसम मे गरीब लोगों को थोड़ी सी सुविधा दे कर के ईसाई बना रहे हैं और उसके साथ-साथ उन्हें सी० आई० ए० का एजेंट बना रहे है ? यह सारी समस्य पैदा होती है । यह मै जानना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) यह प्वॉइट आफ आर्डर कैसे है . . . . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : डा० भाई महावीर ने तो कह ही दिया है ।

उपसभाध्यक्ष) : (श्री राम सहाय) : प्वांइंट आफ आर्डर जो है . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : आपके जानने का सवाल नही है, आपके जानने का प्रश्न नही है, प्वाइंट आफ आर्डर pertaining to the proper functioning of the House होना चाहिये । यह प्वाइंट आफ आर्डर नही है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हमारे कांक्रीट सवाल के ऊपर जेनरल सर्मन दे दिया, यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय): डा० भाई महावीर ।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो शिव प्रकाश केवट नाम के सज्जन थे जिनकी हत्या हुई है, जिसके लिये मंत्री जी ने कहा कि यह अनुसूचित जाति से सम्बन्ध नही रखते थे, लेकिन हरिजन थे, अगर यह अनुसूचित जाति के नही थे तो मै नही समझ पाया कि इस सारे समाचार मे इस रहस्य का क्या हल है कि चुनाव के बाद जो जातिगत विद्वेश पैदा हुआ, इंटरकास्ट राइबलरी पैदा हुई उसी के परिणामस्वरूप पहले रामदेव किसी ब्राह्मण सज्जन की हत्या हुई, इसके बाद उनकी हत्या हुई, यह शैड्यूल्ड कास्ट नही है लेकिन फिर भी हरिजनों और ब्राह्मणों के बीच मे जो संघर्ष पैदा हुआ था, उसके एक प्रतिफल के रूप में इनकी हत्या की गई है । तो मैं यह चाहूंगा कि इसमें यथार्थ स्थिति क्या है, यह ज़रा बताने का कष्ट करे ।

दूसरी बात महोदय, मै यह जानना चाहता हूं, यह सारा टेन्शन जब शुरू हुआ, उसके बाद पुलिस चौकी आई और बैठी, फिर एस० पी० आया, फिर शायद डी० एस० पी० आया, तो थाना उस गाँव से कितना दूर है और यहां पर कोई स्थायी चौकी पुलिस की है या नही या इस तरह की सारी घटनाएं शुरू होने के बाद कोई स्थानीय पुलिस चौकी बनाने का विचार वहां पर किया गया या नही किया गया और अगर नही किया गया तो क्यों नही किया गया, क्योंकि इस साल के शुरू मे जो वहां पर तनाव पैदा हुआ है उसी के बाद ये घटनायें एक के बाद एक हो रही है ? इसके बारे में स्थानीय अधिकारियों ने उचित कार्यवाही की थी इसका तब भरोसा हो, जब वहां पुलिस चौकी स्थायी रूप से बैठाने का यत्न किया गया ।

तीसरी बात मै यह जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने एक ओर इससे भयंकर बात यह कही कि ये जो घटनाएं हो रही है, यह जागृति का एक सबूत है, क्योंकि छोटे वर्ग के लोग अब जाग्रत हो रहे है इस वास्ते अगर उनका दूसरे वर्ग के लोगों से संघर्ष आता है तो समझना चाहिए कि यह बड़ा शुभ लक्षण है, बड़ी अच्छी बात है, अब तक वे दबे हुए थे, अब उनके जागरण से कुछ न कुछ ऐसे कष्ट रहेंगे । अगर इस प्रकार के जागरण के कारण वे सतुष्ट रहें तो मुझे लगता है देश में आज पर्याप्त जागृति आ चुकी है और पर्याप्त झगडे और हिंसा की घटनायें हुई है और हो रही है, तो कृपा करके मंत्री जी इस तरह का मोड़ इस सवाल को न दें कि जिसमें ऐसी घटनायें करने वालों को भी यह लगे कि शायद वे जागृति का दूत बन कर कुछ पुण्य कर रहे है, देश सेवा का । मै चाहूंगा, इस बात को अलग रख के उत्तर दिया जाए ।

क्या आपने लॉ एण्ड आर्डर के बारे में एक सामान्य विवेचन किया जैसा शाही जी कर रहे थे कि आपने एक सर्मन दे दिया था या सामान्य विवेचन दे दिया, जैसे कही ये घटनायें होती है तो सरकार यह करती है, भरसक प्रयत्न किया जाता है और उस प्रयत्न के लाभ भी हो रहे है। महोदय, मुझे खेद है, आज जो अपने चारों ओर की स्थिति है, वह मंत्री जी के इस कथन को पुष्ट करती दिखायी नहीं देती । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही पिछले दिनों के अंदर जो दो-तीन घटनायें हुई है—अभी परसों के रोज़ चंदौसी की पुलिस और मिलावट करने वालो की मिली-भगत की बात को लेकर जो काण्ड हुआ और इससे पहले मोदीनगर और मुरादनगर के बीच रेलवे गाड़ी में जो काण्ड हुआ और मै चाहूंगा मिश्रा जी अगर इस बारे में कुछ बता सकेंगे, क्योंकि रेलवे मंत्री हर बार पीछा छुड़ा कर चले गये, जब रेलवे के अन्दर इस तरह की घटना हुई जिसमें कालेज की कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बल्कि बलात्कार तक किया गया—इस तरह की शिकायत की गई है—और मुरादनगर जैसे छोटे नगर पर वहां की पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नही कर सकी महीना भर बीत जाने के बाद भी । मै यह जानना चाहता हूं, क्या इन सारी बातों को देख कर मंत्री जी यह नहीं समझते कि ला एण्ड

आर्डर की स्थिति आज समाधान के लायक नही है और यदि नही है तो—आपके सीधे क्षेत्र मे न हो यह मै जानता हूं आप कहेंगे कि राज्य सरकार का विषय है—क्या आप इस सवाल को लेकर कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से और गृह मंत्री मे चर्चा करेंगे और मुझे मालूम नहीं गृह मंत्री कौन है, मुख्य मंत्री तो गृह मंत्री भी नही है. . . .

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : एक ही है ।

डा० भाई महावीर : अगर मुख्य मंत्री गृह मंत्री भी है तो उनके साथ इस सारे मामले की चर्चा करके क्या इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि अब तक जितनी बाते हुई है, उनसे राज्य सरकार ने कुछ सबक सीखा है, कुछ ग्रहण किया है ?

महोदय, विशेष बात मुझे यह कहनी है कि डिप्टी कमिश्नर या पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट ने जाकर कुछ देख-भाल की होगी, मै यह समझ सकता हूं, पर ज्यादातर घटनाएं स्थानीय पुलिस की अकर्मण्यता के कारण होती है जानकारी होते हुए भी अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण या मिली-भगत के कारण।

यह मामला अत्यंत गंभीर है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बातचीत करके सदन को यह आश्वासन देंगे कि उचित कार्यवाही जितनी भी आवश्यक है वह सब की जा रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य मे बतलाया कि केवट जाति एक पिछड़ी हुई जाति कही जाती है . . .

डा० भाई महावीर : बैकवर्ड कैटेगरी की है ?

श्री राम निवास मिर्धा : बैकवर्ड कैटेगरी क्लास की है ।

श्री श्याम लाल गुप्त : (बिहार) : क्या यह सही है कि केवट जाति और बेलदार जाति उत्तर प्रदेश में एक है और अनुसूचित जाति में बेलदार जाति मानी जाती है और इसलिए केवट लोग अपने को कुछ इलाको में वहा पर अनुसूचित जाति के मानते है । क्या यह बात सही है कि बेलदार और केवट एक है और बेलदार अनुसूचित जाति मे है और इसलिए केवट लोग प्रवेश पाने के लिए अपने को अनुसूचित जाति मे मानते है ?

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकार ने निश्चित रूप से हमें सूचित किया है कि राज्य में केवट जाति के लोग अनुसूचित जाति में नही है और इसलिए मैंने कहा कि वे पिछड़ी जाति के कहे जा सकते है । उसकी लिस्ट मे है या नही, तथ्य न होने के कारण मैं यह बात नही बतला सकता हूं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग तो वे है ही और इसमे कोई विवाद नही है । लेकिन हरिजन और इनका मेल था और एक ही पार्टी चुनाव के सम्बन्ध मे थी । शिवप्रसन केवट की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी और रामधर डोमर जो अनुसूचित जाति के है, उनको चोट आई है और इस घटना से उनका सम्बन्ध है । इसलिए माननीय सदस्य ने जो तथ्य जानने चाहे उसके बारे मे जानकारी यह है। अब यह कहना कि मेरे उत्तर में . . .

डा० भाई महावीर : और भी तथ्य पूछे थे । थाने के बारे में ।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने तो एक समन जैसा दे दिया और सारी स्थिति को स्पष्ट नही किया। जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि जहा तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, वह राज्य सरकारो के अधीन है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार समय-समय पर कई प्रकार से राज्य सरकारों से सम्पर्क रखती है और इस बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों मे चर्चा की जाती है । हम राज्य सरकारो को परिपत्र भेजा करते है, हमारे मंत्रालय के ऊंचे अधिकारी समय-समय पर राज्यों में जाते है, कांफ्रेंस करते है । एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया बना ली गई है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हों, उनकी किस प्रकार

(श्री राम निवास मिर्धा)

से पुलिस जाच कराई जाय, किस प्रकार से आगे उनको अदालत मे ले जाया जाय और किस प्रकार से सब कुछ किया जाय, इसलिए यह कहना कि मैने सामान्य रूप से सरमन दे दिया है, यह बात नही है। हमारी इस सम्बन्ध मे निश्चित हिदायते है और केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध मे ठोस प्रशासनिक कदम उठाये है, पहिले भी उठाये थे और अब भी उठाये जा रहे है और इसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न राज्यो ने अपनी कानून प्रक्रिया को बदल दिया है और इस तरह की घटनाओं के सम्बन्ध मे जिस प्रकार से जाच होनी चाहिये उसमे सुधार हुआ है और इस प्रकार के जो मुकदमे होते है उनको काफी गम्भीरता के साथ लिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार इस विषय मे सचेत है और राज्य सरकारो से भी गहरा सम्बन्ध बनाये हुए है।

जहा तक पुलिस चौकी का प्रश्न है, वह हमारी सूचना मे नही है कि वहा पर पुलिस चौकी है या नही। राज्य सरकार ने जो सूचना दी है उससे स्पष्ट लगता है कि वहा पर जो जिला अधिकारी है, एस० पी० है, डी० एस० पी० है, वे सचेत तरीके से कार्य कर रहे है और वहा महीनो से तनाव की स्थिति थी जिसके बारे मे वे अनभिज्ञ नही थे। वे लोग स्वय वहा गये और जो भी प्रिवेन्टिव मेजर्स अन्डर सिविल प्रोसिजियर कोड लिया जा सकता था वह उन्होने लिए, एक दफा नही, कई दफा लिये, लेकिन इसके बावजूद भी यह घटना घटी।

डा० भाई महावीर : वहा पर चौकी क्यो नही बिठलाई ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री जी से इस घटना के बारे मे कहने के लिए कहा है। मै यह निवेदन करना चाहता हू कि उनके साथ सम्पर्क बनाया हुआ है और जो भी माननीय सदस्यो की भावनाए व्यक्त करेंगे, वे उन तक पहुचा दी जायेगी। लेकिन मै यह कहना चाहता हू कि सामान्य तौर से जो जिला अधिकारी है, जो कानून व्यवस्था को देखते है, उन पर इस बात को छोड दिया जाना चाहिए कि वे स्पेशल चौकी बिठलाए, स्थायी बिठलाये, स्वय जाये, कौनसा कार्य करे, यह उन पर छोड दिया जाना चाहिए, क्योकि जैसी स्थानीय स्थिति होगी उस तरह का वे कार्य करेंगे। मै आशा करता हू कि वे और भी जागरूकता से काम करेंगे ताकि इस तरह की घटनाए न हो और अगर हो, तो उनको खत्म करने के लिए कारगर कदम उठायेंगे।

डा० भाई महावीर : उपाध्यक्ष जी, मैने विशेष ध्यान से बात कही थी कि दो-तीन घटनाए सदन के सामने आई है। मुरादनगर की। रेल की घटना हुई, फिर चदौस के अन्दर घटना हुई, जिसमे केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारी सम्बद्ध थे। उस रेल की घटना को एक महीना होने के बाद भी—हमारे माननीय सदस्य त्यागी जी ने वह सवाल उठाया था—इस सदन को कुछ नही बताया गया कि उसके सम्बन्ध मे कुछ लोग पकड़े गए या नही . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नही है, आप इसके बारे मे सवाल न करिए।

डा० भाई महावीर : प्रश्न यह है कि उन्होने केवल एक घटना के बारे मे नही कहा, उन्होने कहा कि इस तरह की घटनाओ के बारे मे सरकार बडी मुस्तैदी से काम करती है। जब यह कहा जा रहा है तो यह उचित ही होगा कि कम से कम उन घटनाओ के बारे मे कुछ बताया जाय जिनके बारे मे यहा प्रश्न उठ चुका है। रेल मत्री ने कहा है कि रेलवे पुलिस अलग है, स्टेट पुलिस अलग है, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस अलग है। अब यही झगडा हो रहा है कि इन तीनो मे से कौन ढूंढे। इस बीच करने वाले बदमाशी करके चले गए। अब इसके बारे मे राज्य सरकार का विशेष ध्यान दिलाना होगा। इस विशेष घटना मे ही चौकी बिठाने का मेरा सुझाव नही था'

श्री राम निवास मिर्धा : जो माननीय सदस्य ने कहा वैसे। सारी घटनाओं के बारे मे हम राज्य सरकार मे सम्पर्क स्थापित कर रहे है, और भी करेंगे और सारी व्यवस्था के बारे मे, जिन घटनाओं के बारे म उल्लेख किया गया है उन सबके बारे मे हम राज्य सरकार म कहेंगे।

AN HON MEMBER Political murder.

SHRI K P SUBRAMANIA MENON (Kerala) The hon Minister s reply to the question seems to imply that this has come out of a clash between two equal forces with equivalent strength because he said that the police had put 63 people of one group and 57 people of another group under observation under section 107 This is absolutely a wrong thing because after all, the problem is not just a simple thing of clash between equally armed strong groups I am not worried about the semantic difference between the Kewats and the Scheduled Castes and all The basic fact is that these are agricultural labourers who are the poorest of the poor in the countryside and the attack on that section has been there and there cannot be any equality between these two that the Brahmins and the upper sections . . . .

DR BHAI MAHAVIR All Brahmins are not rich

SHRI K P SUBRAMANIA MENON That is a different thing But here it is a fact that immediately after the election these people were denied jobs in the lands belonging to the upper class That itself is almost equal to killing them If the agricultural labourers who live by working on the lands of the landed gentry are denied their jobs, where can they go? The whole thing the whole basis, of this thing starts from the beginning and a effort is made to show as if some equal groups are poised as against each other and therefore this thing has happened This is far from truth

Secondly, this is not an isolated thing In fact, in UP a lot of things have been happening The law and order question is raised Is not law and order involved in the observance of untouchability because there is the Anti-Touchability Act passed by Parliament Is it not enforceable by the State Government? But it has been alleged by no less a person than the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that in the Police Training College in Varanasi, UP, there is untouchability practised And it is the same policemen who are going to guard the Harijans against untouchability in the villages and there is no use putting fresh police force and all that The whole thing is basic, the whole approach has to be changed Administration, police and everyone is corrupt as far as this issue is concerned They are all discriminating against these people

Therefore, I would ask the Government whether, in view of this sort of happening throughout UP especially in the eastern part and in view of the recurring complaints including the complaints by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that things in UP are not at all going according to the constitutional provisions as far as the Harijans are concerned the Government will order a thorough-going enquiry into the situation prevailing in UP so that the Harijans can have some confidence in the *bona fides* of the Government?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA In the statement I have given a factual narration of events that took place and the preventive actions that were taken by the district law and order authorities It is not a question of against whom the action was taken because all persons from whom it was feared that breach of peace might result were bound down under the various provisions of the Criminal Procedure Act and resort was had to these provisions by the district authorities The various actions taken by them I have narrated

[Shri Ram Niwas Mirdha]

One factual information I might give. In this village there are 72 families of high caste Hindus and 160 of those belonging to the scheduled caste and backward classes. So this is not a question of two forces being equal but action has got to be taken against persons belonging to both sides because according to the judgment of the law and order authorities a breach of peace can result from actions from either side So these actions were taken.

As regards the suggestion of the hon'ble Member that in view of the situation prevailing in Uttar Pradesh some special enquiry should be instituted regarding these incidents, I do not think an enquiry of this nature is necessary because we have all information regarding the incidents that took place and the State Government there and the district authorities have, in most cases, been very vigilant. There is no case for any special enquiry of the nature suggested by the hon'ble Member.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, यह छिपा रहे हैं। बात यह है कि हारने वाला कैंडीडेट कांग्रेस वाला था इसलिए गवर्नमेंट मशीनरी ने और आफिशियल्स ने कोई ऐक्शन नहीं लिया। यह सब गलत बता रहे हैं।

SHRI HARSH DEO MALAVIYA (Uttar Pradesh): In view of that fact that the Minister does not appear to be sure of the fact whether such incidents. as is under discussion today, have increased during the recent year, may I take the liberty to place before him certain hard facts? On August 12, 1972, in Avran Gaon near Nagpur, Ramdas Narnaore (Mahar) was sacrificed before "Devi". On September 18, 1972, in Takil District Nanded, one Harijan was murdered In Osmanabad district in Maharashtra, a Harijan woman was raped by a sub-inspector. About the same time, in the neighbouring district of Parbhani, two Harijan women were forcibly stripped naked and paraded in the streets of a village called Sona Gaon near Brahman Gaon, by a group of caste Hindus.

In Gujarat, the State of Mahatma Gandhi, sixty-two Harijans were killed in the last two and half years. In 40 per cent. of the villages in Surat, the Harijans are not allowed to draw water from common wells. During the three years, 1966, 1967 and 1968, no fewer than 1100 Harijans were done to death. In Madhya Pradesh, a survey of 404 villages revealed that the Harijans were not allowed to draw water from public wells in as many as 182 villages. Very recently in Uttar Pradesh in the village of Dadaria a Harijan woman and a young girl were raped. In Hathaura, there was another case of a Harijan woman being raped by a caste Hindu. In the Chief Minister's own constituency, Harijans are paid Rs 3 a month and 1.6 kg of coarse grains a day to work on the landlords' fields.

Therefore, Sir, these things are continuing. There is no question of their becoming less; they are obviously increasing whatever the newspaper reports might be saying. Article 17 of the Indian Constitution says "The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law."

It is a clear directive given by the Constitution to the State And it is the responsibility of the State at the Centre as also at the level of the States to stop these things More so, the enforcement of the Constitution is the responsibility of the Centre. I would like to ask the Minister what the Government is doing to enforce this clause of the Constitution.

Lastly, Sir, with your permission, I would like to draw the attention of the Minister to the following statement once made by the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. He said:

"I do not want to be re-born But if I have to be re-born, I should be born as an untouchable so that I may share their sorrows,

sufferings and the affronts levelled at them, in order that I may endeavour to free myself and them from that miserable condition. I, therefore, prayed that if I should be born again, I should do so not as a *Brahmin, Kshatriya, Vaishya* or *Shudra,* but as an *Atishudra*."

So this is something which reveals the pang of the heart of the Father of the Nation on the question of Harijans I think we will have to admit that even after 25 years of freedom, we have not yet done justice to the Harijans, we have not carried out the dream of Mahatma Gandhi I would like to know from the Minister what steps he proposes to take to see that this very specific clause of the Constitution is enforced in the country.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA. Sir, the hon Member has given a number of instances of incidents—covering human sacrifice, atrocities against Harijans and cases of that nature If he had raised some particular case, probably I would have been in a position to say what action the State Government or the Central Government took in that particular case Sir, every case that comes to our notice we take up with the State Government and we pursue it most seriously The State Governments also have started taking great interest and showing great firmness in cases of this nature The Central Government is certainly not oblivious of its Constitutional and moral responsibility in the matter We consider these acts as most reprehensible and we have taken all possible administrative and legislative measures to see that they do not occur and, if unfortunately they do occur, stringent police action is taken prosecution is seriously pursued and the law-breakers are brought to book

Sir the Central Government has a certain framework under which it can work I have had occasions in this House, to-day as well as before, to mention the various steps the Central Government has taken in this respect. The Chief Ministers' Conference has discussed this at our instance Our own officers have been going round, discussing with police and other administrative authorities in the States as to how they process and handle these cases We have issued instructions that these cases should be investigated as cases of a special type and senior police officers should handle them, and they should not be left to be dealt with by junior officers And these measures, I can say, have had some effect It is not true to say that the Central Government or the State Governments have been sleeping over this matter. Greater and greater vigilance is being exercised and the State Governments have responded to our suggestions and appeals as to how these cases should be handled.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir I am very sorry to hear the hon Minister virtually repeating what the State Government says in the matter Now, Sir, are we to believe the State Government on a matter like this, or do we have our own arrangements of finding out facts and then taking measures in a matter of this kind? That is the point that I should like to make in this connection

We are told that Mr Kamlapathi Tripathi, Chief Minister of Uttar Pradesh, spends two hours in the morning praying to God How far he has got nearer to God, I do not know

DR BHAI MAHAVIR: Which God?

SHRI BHUPESH GUPTA: But it seems that he is getting farther away from the common man and especially from the Harijans, who are subjected not only to indignities but to physical violence in his state

I was a little surprised by the Minister trying to make it out as if it was a case of two rival groups coming into a clash and then the Government stepping in to set them apart and deal with the two feuding

[Shri Bhupesh Gupta]

groups. This is not at all the substance of the case. It may have the appearance of such kind of a thing. There the Harijans were attacked. And if the Harijans react to this kind of a thing in an organised manner, we should congratulate them, I should like to congratulate the Harijans I should like the Harijans to take up arms, if necessary, and resist these landlords and make it a hell for them. We should congratulate the Harijans But instead of that, you are trying to make out as if the Harijans were in the offensive in a manner as if they were the landlords. It is a scurrilous statement to make. Surely it is not justified by any sense of social values in this matter. Therefore, I think we should not go by the outward appearances of it. The fact remains that in India today that the agricultural labourers, the tillers of the land, the Harijans, are attacked and the capitalist element is coming in, those belonging to the other castes, the lower castes, as they call it, are attacked, especially those who are the most downtrodden and exploited in our countryside. And this is happening. I think the Government should show a little more awareness. What does the Perumal Committee say? Go through the report of the Perumal Committee and you will see that your law and order forces do not even know that there is something like Untouchability Offences Act which has been passed by Parliament some fifteen or sixteen years ago For the violation of the provisions of this Act barely a thousand cases had been started over a period of fifteen to sixteen years and it is stated clearly on the basis of enquiry that very often these complaints are not entertained by the local police station because of the fear of landlords and fear of reprisal against the Harijans by the landlords These are cold facts, printed in official reports And yet we find the Government going on in this manner We have been told about the U P police About the U P police the less said, the better it would be This police is not only anti-people, anti-democratic, it is a police which is biased against certain castes, especially Harijans and others. That everybody knows. Can we expect protection of the Harijans from that kind of a police force? But in other matters do you know how they behave? My friend, Dr. Mahavir, spoke about it Recently your U.P. policemen arrested some leaders of the All-India Youth Federation and the All-India Students' Federation in Lucknow in connection with a demonstration against unemployment. Do you know what they did? This shows the perversion, the base, sadistic, mentality of the U.P. police force exhibited in Lucknow itself. Those arrested included Ravindra Singh, president of the Lucknow University Students' Union, Gobinder Srivastav, general secretary of the State Council of the All-India Student Federation, Atulya Kumar Jain, Mohinder Singh, prominent leaders and office-bearers of the Federation. After they were arrested, they were beaten up and they were handcuffed and demonstrated in the streets. Then they were taken to other police stations in U P. At the railway station when the train stopped, they were brought down from the train and shown before the public and handcuffed and so on. This is by the U P police Is this police going to behave in a decent manner? It is an uncivilised, boorish, beastly, police force Am I to understand that we have to go by the reports that have been given on behalf of them by the gentlemen who preside over such a police force? Therefore, I say that we should not accept the report We should reject it We should send some authorities from the Government of India here to make an on-the-spot study and come out with their own findings and report in this matter

Secondly, I think this is a matter in which the Central Government and the State Governments should see that persons belonging to Harijan community are put in top positions in both the Police Force and civil administration to be directly responsible for the enforcement of

these laws and prevention of such crimes like beating of Harijans, assault on Harijans and murder of Harijans Why can't you do that? Whatever you may say, you have a caste-ridden administration of a particular type When you have a caste-ridden administration, with the best of intentions, you cannot expect much from them Of course, some people are good although they may be from the upper classes But there are people who are conservative in their outlook who hate people belonging to the other castes, especially Harijans, whose mission is to protect those who persecute the Harijans, who think that Harijans have no right to live with the civic rights and with dignity as ordinary human beings and who do not even mind if Harijans are sacrificed before Gods and Goddesses I say something should be done by this Government Your Chief Ministers' Conferences are useless in this connection We want change, as far as this aspect is concerned, in the administrative outlook and personnel above all As far as the State Government is concerned, I do not want to leave it to them, especially to a Government of the type we have in U P Shri Kamalapathi Tripathi is a very conservative man and he encourages conservatism in a religious sense of the term Therefore, we cannot expect much from him or his Government in the matter We should reject the statement that has been made and we should call upon the Government to hold its own inquiry and come out with their own findings and they should tell us what they are going to do in the matter

SHRI RAM NIWAS MIRDHA The hon Member has cast aspersions on the whole U P Police Force, the whole state administration and he would like that we should not believe anything that they say I do not think this is the proper approach in a matter like this or any other matter

SHRI BHUPESH GUPTA On a point of order I have not cast aspersion This is not casting aspersion I have indicated them and arraigned them I do not believe in cowardly action I arraign them and I gave facts as to how they behaved One instance of how the Police behaved was explained here I have given another instance of how they behaved in the city of Lucknow, in the capital of U P

SHRI RAM NIWAS MIRDHA All I can say is that it is neither fair nor true to make such wholesale allegations against the whole administration Even from the practical point of administration and from the angle of Constitutional propriety, this should not be done and things should not be taken beyond a certain limit Under our Constitution, State Governments exist as separate entities endowed with large powers To distrust them or not to believe them in cases like this would be a very dangerous proposition from the Constitutional point of view If what the hon Member says is acted upon, it would mean that the Central Government should take on powers to directly investigate cases of this nature which happen in a particular state

Sir, if this is the serious suggestion, then it involves a tremendous change in our constitutional set-up which has to be viewed in the context of the Centre-States relations and it is much more complicated

SHRI BHUPESH GUPTA Sir, on a point of order On an earlier occasion, the Central Government held an inquiry I am not suggesting that they should inquire into every case It happened in the past So, why can t it happen now?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Sir, the Central Government has its own machinery to investigate into such cases We have a Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who investigates into every case that is brought to his notice He not only investigates but also makes a detailed report annual report which the Parliament debates on many occasions So, we have our separate Central machinery which goes into every instance of this kind and it is not true to say that we are

[Shri Ram Niwas Mirdha]

leaving every thing to the State Governments. The Central Government has its own set-up to investigate into these things when these are brought forward before the House. We have already asked the Commissioner to investigate into this and I think when more facts come to our notice, we will take appropriate action on this.

SHRI BHUPESH GUPTA: What about my suggestion? I say, Sir, that in the enforcement of law in such cases, the Harijans also should be associated. Let him answer this. What is he going to say on this, Sir? What is his answer?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI): He has given you the answer.

Yes, Mr. Nawal Kishore.

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, यह जो वाक्या शिव प्रसाद केवट का मंत्री जी ने बतलाया, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बान्दा का पहिला वाक्या नहीं है, बल्कि इसमे पहिले भी कई वाक्ये हो चुके हैं। बान्दा जिले के हरिजनों के मन में यह आम भावना है कि उनके जान माल की हिफाजत नहीं हो रही है और शायद मिर्धा साहब को याद होगा कि वहां पर स्त्रियों का एक डिमांस्ट्रेशन हुआ था और उन्होंने बान्दा के जिला अधिकारियों को एक रिप्रेजेन्टेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हाई कास्ट के जरिये हमें मौलेस्टेशन किया जाता है और इस तरह से हमारी इज्जत महफूज नहीं है। वहां पर इस तरह का पहिले वाक्या नहीं है और न मैं इस बहस में जाना चाहता हूं, क्योंकि भाई महावीर ने इस सम्बन्ध में एक लम्बी चौड़ी लिस्ट दे दी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सब चीजें होते हुए भी आज 25 साल हो गये हैं और इन 25 सालों के बाद भी इस तरह की घटनाएं हिन्दुस्तान में हो रही हैं। मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में जागरूकता फैल रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज भी हरिजनों को वोट देने से वंचित किया जा रहा है जैसा कि हमारे पश्चिमी जिलों, मेरठ और मुजफ्फरनगर आदि जिलों में हुआ है। मैं यह बात मानता हूं कि देश में जागरुकता फैली है, मगर यह बात भी सच है कि हरिजन आजादी के साथ वोट नहीं दे पा रहे है। इस तरह की घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं जहां पर हरिजन आसानी के साथ वोट नहीं दे पा रहे है, आजादी के 25 साल के बाद भी। आपने कांस्टीट्यूशन में हरिजनो के लिए डायरेक्टिव प्रिन्सिपल की बात कही है, लेकिन वह लागू नही किया गया है। आपने कांस्टीट्यूशन को अमेन्ड किया है, लेकिन आपने डायरेक्टिव प्रिन्सिपल को इम्पलीमेंट नही किया तो फिर जागरुकता किस बात की हुई? अभी कुछ दिन हुए हमारी सदन की महिला सदस्या सरोज कुमारी जी ने कहा था कि किस तरह से हरिजनों को देवी की बलि देने के लिए पकड लिया जाता है। इसी तरह की शिकायत महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से आई है। आज हमारे सामने केवल एक उत्तर प्रदेश की मिसाल नही है, बल्कि बहुत जगहों से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है हरिजनो के बारे में।

एक बात मैं यह मानता हूं कि देश में जागरुकता तो अवश्य आई है, क्योंकि पहिले हरिजन जुल्मो को चुपचाप सह लेते थे और अब उनमे इतनी पावर हो गई है कि जो जुल्म उन पर होते है उनकी शिकायत करने की उनमें ताकत आ गई है। इस चीज को मैं मानता हूं। अभी हाल में आजमगढ़ मे भी इसी तरह की शिकायत आई थी और वहां पर मुसलमानो के ऊपर काफी अत्याचार किया गया और उनके घर जला दिये गये। इस तरह की जो शिकायतें है, वे उत्तर प्रदेश से ही नही आई है बल्कि और प्रदेशों से भी आई है। अब लैंड सीलिंग की बात हो रही है और अगर वह इम्पलीमेंट हो जाती है तो शायद कुछ स्थिति ठीक हो।

श्रीमन्, मै दो, तीन बात जानना चाहता हूं कि यह जो सवाल ला एन्ड आडर का है; क्योंकि आज हामरे देश में जहा तक ला एन्ड आर्डर की स्थिति है वह बिगड़ती ही चली जा रही है और

चुनाव के बाद तो यह स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। माननीय मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध मे तीन बाते बतलाई। उन्होने हिंसा के सम्बन्ध में एक तो ग्रान्ड एलायन्स की बात कही, दूसरी सी० आई० ए० की बात कही और तीसरी फारेन इन्टरवेन्शन की बात कही।

1 P.M.

इन पर्टिकुलर केसेज में जो आपके सामने आए हैं, किसका हैन्ड ज्यादा है ग्रान्ड एलाएन्स का सी० आई० ए० का या फारेन इन्टरवेंशन का। मै इस बात को नही मानता कि चुनाव की वजह से यह हुआ, क्योकि चुनाव में मर्डर हरिजन के भी हुए, नान-हरिजन के भी हुए, ह्यूमैन सेक्रीफाइस हरिजन की भी हुई, नान-हरिजन की भी हुई, लेकिन मै यह जानना चाहता हूं, जैसा कि मेरे दोस्त गुप्त जी ने कहा, गुप्त जीकी बात को मै इसलिये इम्पोर्टेन्ट मानता हूं क्योकि वे आपके और प्रधान मंत्री जी के सेल्फ एपोइन्टेड एडवाइज़र है

He is the self-appointed adviser to the Government of India, the Prime Minister and the Home Minister.

उनकी राय यह है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री कन्जरवेटिव है, तो क्या आप उनको प्रोग्रेसिव बनाने की चेष्टा करेंगे या उनको बर्खास्त करने की चेष्टा करेंगे? उनको शिकायत है कि यू० पी० की पुलिस बहुत निकम्मी है। मेरा यू० पी० की पुलिस से वास्ता है और मै इस बात को मानने को तैयार नही हूं कि यू० पी० की पुलिस निकम्मी है, वह उतनी ही अच्छी है या बुरी है जितनी और प्रदेशो की पुलिस है।

श्री महावीर त्यागी : बंगाल मे अच्छी है।

श्री नवल किशोर : बगाल का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होने कहा कि वह पुलिस स्टूडेंट्स को पकड लेती है। क्या होम मिनिस्टर साहब—अगर उनको यह कांस्टीट्यूशनल पावर हो—उत्तर प्रदेश की 1 लाख 20 हजार पुलिस फोर्स को बर्खास्त कर ऐसी पुलिस की नियुक्त करेंगे जो स्टूडेंट्स को नही पकडे, जो हरिजनों के ऊपर अत्याचार न करे और कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर विशेष तौर पर कृपा दृष्टि रखें, चाहे वे कुछ भी करें, ला एंड आर्डर को तोड़े? क्या ऐसी कोई स्कीम आपके पास है?

एक आखिरी बात मै और पूछना चाहता हूं और वह यह है, मालवीय जी आपकी पार्टी के आदमी हैं, काफी प्रोग्रेसिव भी है, कन्जरवेटिव नही है, ऐसा मै मान कर चलता हू, उन्होने यह साबित किया है कि हरिजनों पर अत्याचार बेहद बढ़ रहे है, पता नही यह उनकी अपनी अथारिटी से उन्हे मालूम हुआ है या के जी बी के पास से उनके पास लिस्ट आई है, उनकी ही अथारिटी को मान कर क्या माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे कि हरिजनो पर एट्रासिटीज़ बढ रही है?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने कई बाते उठाई जिनके सम्भवत: उत्तर की वे अपेक्षा नही करते है।

श्री नवल किशोर : आपसे तो उम्मीद है कि आप जवाब देंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : आप उम्मीद नही करते है। श्रीमन्, माननीय सदस्य ने प्रारंभ में एक बात कही कि अनेक राज्यो से इस प्रकार की घटनाओ की खबरे आई है और केवल उत्तर प्रदेश मे ही इस प्रकार की घटनाए नही हुई है। यह सही है क्योंकि सदन मे इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है, सब जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई है। उनका क्या कारण है उसके सम्बन्ध मे माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह काफी तथ्यपूर्ण है, लेकिन जहा कही भी घटनाएं हुई है, उन पर सख्त कदम भी उठाए गए है। महाराष्ट्र की घटना कुछ समय पूर्व बाबडा नामक गाव में, जो पूना जिले मे है, पचायत चुनाव के बाद हुई। ऐसी जानकारी आई कि राज्य सरकार के एक मंत्री के भाई को गिरफ्तार किया, उन पर केस चला और जो भी सम्बन्धित थे उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कदम उठाए गए। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारे इस सम्बन्ध में काफी सक्रिय है और जागरूक है। सदन में भी

[श्री राम निवास मिर्धा]
जो समय-समय पर चर्चा होती है उसका भी राज्य सरकार के मानस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। समय-समय पर हम भी राज्य सरकारों को जो सुझाव और सहयोग देते रहे हैं उन सबकी वजह से इन घटनाओं मे कमी हुई है। जहा घटनाए हुई भी है, उनके बाद जो कदम उठाए गए है, वे बहुत कारगर और सन्तोषप्रद है।

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : उप-सभापति जी, यह बादा जिले के दिगवाट नामक स्थान मे जो घटना घटी है मेरी राय मे वह एक प्लाड ढग से घटी है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा नही है कि अचानक ही या, एकाएक ही कुछ हो गया हो किसी कारण-वश, अचानक हो ब्राह्मणो और वहां के हरिजनो में कोई झगड़ा हो गया हो और मारपीट हो गयी हो, ऐसी बात नही मालूम होता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, यह समझने की बात है, लेकिन यहा पर जो घटना घटी है, मै ऐसा महसूस करता हू कि यह एक योजनाबद्ध तरीके से घटना घटी है। और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बताया कि वहा 105 या 106 घर हरिजनो के और बैकवर्ड क्लास वालो के है और 72 घर ब्राह्मणो के है और इसलिये झगडे के पीछे कोई मशा नही रही होगी। ऐसी बात नही है कि अगर वहा उन मे कोई झगड़ा हो जाय तो वे दोनो बराबरी पर ही रहेगे। ऐसा नही होता है। जहा कही पाच घर ब्राह्मणो के या राजपूतो के होते है, जो उंची जाति के लोग है, वहा उनके पास बदूके रहती है, लैंडेड प्रापर्टी रहती है और दूसरे साधन रहते है और वे चार पाच घर ही समूची बस्ती को कट्रोल कर सकते है। अगर वहा पाच सौ घरो की बस्ती हरिजनो की और बैकवर्ड क्लास वालों की रहेगी तो हिन्दुस्तान जैसे देश मे आज भी वे चार, पाच घर उनको कट्रोल कर लेते है और आज तो हम को कहना पडता है कि हम यहां वैसे तो क्लास लैस सोसाइटी कायम करना चाहते है और है भी, लेकिन वहा हिन्दुस्तान मे जात-पात बढती ही हुई आज मालूम पडती है। एक तरफ हम लोग कहते है कि यह घट रही है, लेकिन जैसी घटनाये होती हैं उनको देख कर ऐसा महसूस होता है कि यह जात-पात बढ रही है। आज इस घटना पर हम लोग इस सदन मे बहस कर रहे है और मै मंत्री जी की इस राय मे सहमत हू कि जब यहा ऐसी बातो पर बहस होती है तो उसका असर राज्य सरकारो पर भी पड़ता है और उसमे कुछ फायदा भी होता है राज्य सरकारे भी उसके लिये कोशिश करती है और मुस्तैद रहती है कि इस तरह की घटनायें न हो ; क्योकि राज्य सभा मे या पार्लियामेट में इस पर बहस हो गयी है, तो इस तरह की बहस से किसी पार्टी को न्याय मिलने मे ज्यादा सहूलियत होती है। इसलिये जो हम लोग बहस कर रहे है वह तो ठीक है, लेकिन इस केस ! मे क्या होगा ? जैसा माननीय सदस्यो ने कहा, माननीय मत्री जी ने हर माननीय सदस्य की बात का जवाब दे दिया। तो इस तरह से अधिकाश मे सरकारी जवाब हो जाता है और सरकारी जवाब अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन इस केस के मुताल्लिक चूकि राज्य सभा मे बहस हो गयी या पार्लियामेट मे बहस हो रही है इसका फायदा क्या होगा ? मैं यह नही कहता कि आप किसी पार्टी के साथ कोई पक्षपात कीजिए, लेकिन आप राज्य सरकार को इसके लिये लिख दीजिएगा और फिर यह मामला कोर्ट मे चला जायगा और उत्तर प्रदेश सरकार को या किसी और सरकार को यह पावर नही है कि किसी कोर्ट के मामले में इंटरफियर कर सके। तो आप क्या मदद कर सकते है ? चूकि यह एक खास मामला है और राज्य सभा की बहस मे आ गया है, इसलिये इस की एक अहमियत है। हम पढ़ते है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आध्र और उत्तर प्रदेश यह पांच प्रदेश हमारे नोटिस मे आये है और अभी भी नोटिस में है कि जहां पिछले 6 महीनों मे ऐसी घटनाएं हुई है हरिजनो पर और दूसरे वर्गों पर। ऐसी घटनाये वहा हुई है कि जिन को पढ कर रोयें खड़े हो जाते है और आज भी ऐसी बातें हो जाती है और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ऐसी बहुत सी घटनायें होती होगी, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। यह भी

कहा जाता है कि जागृति का जमाना है और लोगों मे जागृति आयी है, इसलिये इस तरह की घटनाये तो घटेगी ही । बात ठीक है, लेकिन जिस के पास बदूक नही है, जिसके पास रिसोर्सेज नही है, जिसके पास और बहुत सी चीजे नही है वह केवल लाठी ले कर ही एक बदूक वाले का मुकाबला नही कर सकता है । एक गरीब हरिजन को अगर कोई मार जाता है तो उसके पास न तो बदूक होती है और न दूसरी चीजे होती हैं । उसके पास पैसा भी नही होता और इस करण वह मुकदमा भी नही लड सकता है और आज कल तो इसाफ भी पैसे से ही खरीदा जाता है और इसलिये किसी गरीब को कोर्ट मे सही इसाफ मिलेगा इसमें भी हम को पूरा शक है । इसलिये किस तरह से उसको मदद मिल सकती है, इस बात को हम को सोचना है । एक गरीब हरिजन की जान गयी है, उसके किसी परिवार वाले को मार डाला गया है और यह साफ है कि आज कल हरिजन एक तरफ है, बैकवर्ड एक तरफ है और ब्राह्मण एक तरफ है और दोनो के बीच मे लडाई हो रही है । यह लडाई पहले से चली आ रही है और उसके कारण हैं । उन कारणो से प्रभावित हो कर ही यह झगडे होते है । उनका कहना होता है कि तुम छोटे आदमी हो, छोटी जाति मे पैदा हुए हो और उसके बाद भी हमारा मुकाबला करने चले हो । हम लोगो का मुकाबला कैसे करते हो । हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारा एस० पी० है, हमारा डी० एस० पी० है, हमारे मैजिस्ट्रेट साहब है । तो ऐसी बातें कही जाती है और कहा जाता है उनसे कि देखेंगे कि तुम्हारा कौन है । देखा जायगा कि तुम कितना चलते हो, चलो, हम देखेगे । जब कही तनाव होता है, कही लडाई होती है तो ऐसी बातें भी कही जाती है जो काफी प्रोवोकेटिव होती है और ऐसा कहा जात है कि इसमे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या कर सकती है । यह ठीक है, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि माननीय सदस्यो ने जो जो कुछ कहा है उसका असर पडेगा, लेकिन उन लोगो को डायरेक्टली हम कैसे फायदा पहुचा सकते है, यह हम को देखना चाहिये । वह लोग गरीब आदमी है, मुकदमा लडने के लिये उनके पास पैसा नही है । वह तो एक अच्छा वकील भी नही रख सकते है । गवाह को वरगलाया जाता है, गवाह को धमकाया जाता है । उनको कहा जाता है कि देखो कैसे तुम गवाही देते हो ? एक नही उसके लिये सारे दरवाजे बन्द रहते हैं । मुझे आशा है कि माननीय मत्री महोदय इस केस मे गम्भीरता से ऐक्शन लेगे, उनके दिल मे फीलिग भी है, सच्चाई भी है, लेकिन वे देखे कि यह एफेक्टिव कैसे होगा, अगर चीफ मिनिस्टर को चला जाएगा ? चीफ मिनिस्टर को बहुत सी चिट्ठिया जाती हैं, होम मिनिस्ट्री से ही इतनी चिट्ठिया जाती हैं कि साल भर उनको ही पढने में लग जाएगा । खाली रैपिड रीडिंग दी जाए तो भी बहुत वक्त लगता है ।

श्री चन्द्रशेखर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए, मुख्य मत्री का अनुभव है ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : मै अनुभव से बोल रहा हू, दिन से बोल रहा हू । यह नही है कि होम मिनिस्ट्री को या मुझे उनके लिये ममता नही है, ऐसी बात नही है । हमारी पार्टी के लोग भी यह महसूस करते है कि सच्चाई इस मामले मे है, लेकिन केवल सच्चाई से तो नही होगा । आप एफेक्टिव कैसे होते हैं, यह उनसे कहे और उसके लिये क्या करना पडेगा यह देखे । आप जानते हैं कि आपको, खुद प्राइम मिनिस्टर को और हमको उसके अगेन्स्ट काम करना होगा सच्चाई के साथ । आज बचने की गुजायश नही है । भाई एस० पी० है, उसके भाई ने मर्डर कर दिया तो उसका केस नोट होता है ? थाने मे नही लिखा जाता है । उसके केस को खराब किया जाता है, क्योकि उसका भाई मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मिनिस्टर है, डिप्टी मिनिस्टर है । उनके खिलाफ केस तो समुद्र मे बूद के बराबर है ।

इलेक्शन लडने के लिये सभापति महोदय, हमको डेमोक्रेटिक राइट है । क्या आप डमोक्रेटिक कवेशन कायम कीजिएगा ? हर तरफ से डमोक्रेसी

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

की दुहाई दी जाती है, दूसरी तरफ से उसकी हत्या की जाती है। एक डोम गाव का मुखिया हो गया हमारी कास्टीट्यूएसी मे, उसको काम कुछ नही करने दिया गया। वह गाव का मुखिया हो गया, मालिक हो गया और उसको बैठाया जाता है, उसके दरवाजे पर कोई नही जाता है। वह केवट था, हरिजन के साथ झगड़ा था, वह बेचारा मारा गया। वह नीचे तबके का था, उससे थोडा बहुत जो ऊपर है उसकी सहानुभूति हो जाती है, बड़े आदमी की जल्दी नही होती। आज समाज के हर तबके के आदमी जो है वह चाहते है कि हम आगे बढ़ें, हमको स्थान मिले हम मिनिस्टर बने, हमारे बेटे, और पोते मिनिस्टर बनें। तो हरिजन से जो थोड़ा बेहतर है, उसकी सहानुभूति हो जाती है। ऊपर के लोग तो चाहते है कि हमारा राइट है, हम मिनिस्टर बनेंगे, तुम कैसे बन सकते हो ? ये तमाम बातें हो रही हैं और हो ही नही रही है, प्रभावकारी भी है। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि आप सर्कुलर भेजिये, अच्छी बात है, चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस होती है, अच्छी बात है। लेकिन आज भी लोग कहते है—हमारी जाति के चीफ मिनिस्टर है, तुम क्या करोगे ? कही-कही चीफ मिनिस्टर को जो मदद करनी चाहिये वह मदद नही करता है गरीबों को। मै नही कह सकता हूं कि कौन सी पार्टी की सरकार होगी और क्या होगा। लेकिन इन लोगो को मै राय देना चाहता हू कि राज्य सभा में बहस हुई, कहा जाता है कि यह सर्वोपरि संस्था है, यहा से जो बोला जाता है, वह रडियो में भाषण होता है, भारत के कोने-कोने में वह पहुंचता है, कोने-कोने मे बहस होती है कि यहां पार्लियामेंट में गरीब के बारे मे भी बहस होती है, मिनिस्टर साहब जवाब देते है। सारे लोग सुनते है। तो इतना कष्ट जरूर कीजिए कि पूरे केस की स्टडी करके, अपने डिपार्टमेंट को कहिये, उत्तर प्रदश को लिखिये कि पार्लियामेंट का यह व्यू है। आप कम से कम इस केस में सहायता कीजिए। मैं नही जानता—मैं पहले जानता था जब मिनिस्टर था कि हरिजनों को मुकदमा लडने के लिये सरकारी सहायता मिलती थी अब मिलती है कि नही। जो कुछ पहले मिलता था वह भी ऊट के मुह में जीरा, वह भी मिलते-मिलते महीनो लग जाते थे और वकील बिना फीस के कैसे मुकदमा करेगा, उसका केस इसी मे खराब हो जाता था।

आप इन केस मे मुकदमा लड़िये, चूंकि मर्डर का केस हुआ है, चूंकि इस केस मे पार्लियामेंट मे बहस हुई है, देश की हाइएस्ट बाडी में बहस हुई है, इसलिये आप उत्तर प्रदेश की सरकार को कहिये कि विशेष रूप से अपना वकील ले कर, सरकारी वकील को ले कर के, जिस तरह से भी हो उस तरह से इस केस को लड़ा जाय। उनको जान तो नही लौटा सकते है, उनके बाल बच्चे होगे वह शायद कुछ काम कर सकेंगे, उनकी विधवा होगी, वह कुछ करेगी, लेकिन कम से कम इनसाफ पाने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, चूंकि पार्लियामेंट में बहस हुई है, इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार को कहिये और कम से कम इस केस में वकील वगैरह दे कर सहायता की जाय। ऐसा भी लॉ है कि जो गरीब लोग है उनको सहायता दी जाती है, लेकिन इसमें थोडा स्पेशल इंटरेस्ट लीजिये; क्योंकि यहां पर बहस हुई है। वह तो मर गया, अब आप उसके लिये तो कुछ कर नहीं सकते है, लेकिन कम से कम वकील वगैरह की मदद तो दी जाय। जो जजमेंट होगा वह तो कोर्ट मे होगा, न तो यहां होगा न गवर्नमेंट के पास होगा, जजमेंट तो कोर्ट में होगा इसलिये उसका सही केस वहा रिप्रेजेंट हो तो उस गरीब को बहुत बडा फायदा होगा।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो अन्त में सुझाव दिया कि इस मामले मे भारत सरकार एक विशेष तौर से दिलचस्पी ले और राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करे, इस मुकदमे को ठीक तरह से लडा जाय, उसकी व्यवस्था कराये। इस सम्बन्ध में मै यही निवेदन करूंगा कि कत्ल का जो मुकदमा बना है उसको राज्य सरकार ही चलायेगी वही उसको लड़ेगे उनके वकील सरकारी

वकील इस मुकदमे को चलायेंगे और जहां तक विशेष तौर से स्पेशल इंटरेस्ट लेने का प्रश्न है, उसके लिये भी हम राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करेंगे और उनको इस विषय में और भी जोर दे कर कहेंगे कि इस मुकदमे को और तरह के और जो अन्य मुकदमे हैं उनको भी ठीक तरह से चलायें।

श्री भोला पासवान शास्त्री : अभी तक तो अरेस्ट नही हुआ है, ऐसा तो कहिये कि अरेस्ट कर के उन लोगों को जेल मे ले जायें।

श्री चन्द्रशेखर उत्तर प्रदेश : यह कहा कि चिट्ठी इनकी कोई पढ़ता ही नही तो फिर लिखेंगे क्यों।

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : मुझे मंत्री जी से कुछ कहना है इस मामले में। मुझे बड़ा खेद हुआ कि जब मालवीय जी ने बहुत से इंसीडेंट्स को बताया और अपनी आंखों देखी बातें बताई तो फिर इससे बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई खास बात हो तो उसका जवाब दे सकूंगा। जब उन्होंने आंकड़ों के साथ में बताया है और तो फिर उससे और कोई खास बात नही हो सकती है। श्रीमन् मै तीन चार उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहूंगा। फरुखाबाद में जो पालिका का सदस्य है, उसका मर्डर कर दिया गया। सदस्य होने की हैसियत से मैंने कितनी ही चिट्ठी लिखी लेकिन आज तक उसकी जांच नही हुई, जब कि वह पालिका का सदस्य है, घर पर बैठा था और उसका मर्डर कर दिया गया। मान्यवर, मै यह बात कहना चाहता हूं। भोला पासवान शास्त्री जी ने काफी कहा है, उन्होने इस सम्बन्ध में यह सब बात कही है। तो मै कानपुर की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि लेबर कमिश्नर के आफिस में एक कर्मचारी को जो कि स्वीपर जाति का है, क्लर्क का काम करता है, उसको चपरासी ने कमिश्नर के कहने पर जूतों से मारा। उसने एक लेटर अपने घर पर लिखा कि मैंने एक मेहतर कर्मचारी को मारा है जो कि क्लर्क है, एक क्लर्क को मारा है, मुझ को न जाने क्या होने वाला है। उसने वह लेटर अपने घर जबलपुर को भेजा लेकिन एड्रेस कानपुर का लिख दिया, वह लेटर जब कानपुर में आया तो अफिस में उसके हाथ में लग गया। उस लेटर की फोटोस्टेट कापी करा कर मैंने रिपोर्ट की है, खाडिलकर साहब का जो डिपार्टमेंट है उसको लिखा है और उनको उसकी कापी लगा कर के डी० ओ० के साथ लिखा है और डिप्टी मिनिस्टर वहां पर इंक्वायरी करने गये। अब वह कहता फिरता है कि डिप्टी मिनिस्टर साहब कह गये है कि कोई घबड़ाने की बात नही है। खेद के साथ में मुझे यह कहना पड़ता है कि मेरे लेटर का आज तक जवाब नहीं मिला। उसने उसको मारा है, उसका लेटर मिला है, वह मौजूद है, जो लिखा है वह उसकी हैंडराइटिंग में है, उसकी कापी करा कर मैंने सरकार को भेजी है, सैंट्रल सरकार को भेजी है, लेकिन उसका उत्तर सतोषजनक नही हुआ और डिप्टी मिनिस्टर साहब गये उसके लिये और कह आये कि घबड़ाने की कोई बात नहीं। ऐसा कमिश्नर कहता है।

श्री चन्द्र शेखर : कहां का।

श्री कल्याण चन्द : कानपुर का जिक्र है।

श्री चन्द्र शेखर : उत्तर प्रदेश के डिप्टी मिनिस्टर।

श्री कल्याण चन्द : जी, हमारे यहां के डिप्टी मिनिस्टर। यहां के खाडिलकर साहब के डिप्टी मिनिस्टर गये। कोई भी हो। मैने उस लेटर की कापी करा कर भेजी है। वह कापी अभी भी मेरे पास है, वह लेटर अभी भी है, लेकिन कोई भी उस पर तवज्जह नही दी गई और वहां का कमिश्नर जान बूझ कर ज्यादातर हरिजनों पर जुल्म कर रहा है। मै कहूंगा कि जब इस तरह की बातें होंगी, तो हम लोगों का यहां पर आना बेकार है, हमारे लिये यहाँ चर्चा करना कहां तक सम्भव हो सकेगा। यह बात है।

दूसरी बात यह कि कासगंज गांव में अभी तीन हफ्ता हुआ, एक स्वीपर की लड़की को ले गए, थाने पर रिपोर्ट लिखाने गए तो थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी...

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : आन् ए पौइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। यह अभी डिपुटी मिनिस्टर का नाम लिया गया . .

SHRI KRISHAN KANT: He has not named you

श्री बाल गोविन्द वर्मा : फिर भी किसी को रिफर किया है। जब उन्होने कहा खाडिलकर साहब को चिट्ठी लिखी है तो उनके डिपुटी मिनिस्टर का मतलब मेरे नाम से होता है। तो मै यह कह देना चाहता हू न मैं कही गया हूं और न मेरी इस सबध मे किसी से बातचीत हुई है।

श्री कल्याण चन्द : मैं यह जानकारी दूगा कि मैंने चिट्ठी की कापी लिख कर भेजी है और वह उसका ओरिजनल मेरे पास मौजूद है। तो किस तरह से उसका मर्डर हुआ उसकी कोई जांच नही हुई।

Time bell rings

वैसे ही 3 हफ्ता हुआ, कासगज गाव मे स्वीपर की लडकी को भगाया गया, थानेदार के पास गए तो उसने रिपोर्ट नही लिखी। अगर यह बात गलत साबित हो जाए तो वह लेटर मेरे पास मौजूद है, मैं उसे दिखलाने के लिए तैयार हू। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हू कि अगर इस तरह से ज्यादतियां होती रही और सरकार केवल जवाब देना अपना मुनासिब काम समझेगी तो वह नतीजा निकल सकता है, जैसा अभी आपने देखा होगा एक लडकी के मामले मे कितनी बडी घटना हो गई। वहा अपोजिशन के लोग कहने लगे है कि कांग्रेस के बैन्चेज के लोग बैठे रहते है, हमी लोग कहते हैं। अभी जन सघ के डा० भाई महावीर ने कहा और जिस तरह से उन्होंने इस मामले मे चर्चा की वह बाहर जाकर हमारी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगण्डा करते है और हम लोग बैठे रहते है, क्योकि हमारी सरकार है इसलिए हम मुह नही खोलते। तो मै कहता हू, इसमे सरकार ने विशेष तवज्जह देनी चाहिए। (*Time bell ringhs*) उन्होंने कहा, शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनर के पास मे रिपोर्ट मागते है। कभी नही शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनर जांच के लिए जाता है, यह मुझे खेद के साथ कहना पडता है। तो मैं यह चाहूगा, सरकार इसमे विशेष ध्यान दे। ऐसा कदम उठाया जाए जिससे यह चर्चा का विषय न बने तो अच्छी बात होगी। सब बातो का सबूत देने के लिए मै तैयार हू।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने कछ घटनाओ की ओर सकेत किया और इसका भी उल्लेख किया कि उन्होने लेबर मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा। उसका स्पष्टीकरण उपमत्री जी ने कर दिया है और मै आशा करता हू जो भी चिट्ठी उन्होने लिखी है उस पर गौर किया जाएगा और माननीय सदस्य को सारी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा और उत्तर भेज दिया जाएगा।

मैंने केवल इतना ही कहा था कि जितनी घटनाए होती है, उनके बारे मे जब कभी ब्यौरेवार प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार हमेशा उत्तर देती है और इसलिए अगर किसी भी घटना पर ब्यौरेवार नोटिस दिया जाएगा तो सरकार पूर्ण रूप से उत्तर देगी। लेकिन अगर बीच मे कोई मामला उठा दिया जाता है, तो उसके सब मामलो को उल्लेख करना या उनके बारे मे कोई चर्चा करना या तथ्य देना सरकार के लिए सम्भव नही है, मैंने मात्र इतना ही कहा है।

MESSAGE FROM LOK SABHA

THE UNTOUCHABILITY (OFFENCES AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISION BILL, 1972

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on the 8th December, 1972, had adopted the following motion extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill, 1972:—